सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व प्रार्थना पत्र स0 180ए/2018

फूला देवी पत्नि रामसुख जाति गुर्जर निवासी कणोज तहसील केकडी जिला अजमेर

---प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार केकडी तह. केकडी जिला अजमेर

-----अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136राज.काश्तकारी अधिनियम

पीठासीन अधिकारी : श्री नीरज कुमार मीना (आर.ए.एस.)

निर्णय दिनांक 25.6.
2018

पत्रावली आज दिनांक लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2018 केम्प कणोज में पेश हुई। प्रार्थी /अप्रार्थीगण उपस्थित । उभयपक्षों को सुना गया, संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है।

प्रार्थीया ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136राज.काश्तकारी अधिनियम के तहत पेशकर निवेदन किया है कि वादग्रस्त आराजी वाके **ग्राम कणोज तहसील केकडी जिला अजमेर की जमाबन्दी संवत 2073–76 के खाता संख्या 498 में जर्ये नामान्तकरण स. 1772 में रामसुख की विरासत से दर्ज फूमा दर्ज हो रखा है। जो प्रार्थीया फूमा के स्थान पर फूला का अंकन दर्ज करवाया चाहा है।**

हमने प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया जावें । पटवारी हल्का से प्राप्त रिपोर्ट में प्रार्थीया का नाम **ग्राम कणोज तहसील केकडी जिला अजमेर की के जमाबन्दी संवत 2073–76 के खाता संख्या 498 में दर्ज में प्रार्थीया का नाम फूमा** दर्ज है। प्रार्थी द्वारा संलग्न दस्तावेज के अनुसार प्रार्थीया **का नाम फूमा से फूला** किया जाने की सहमति दी है। साथ ही तहसीलदार केकडी, भू. अभि.निरीक्षक , पटवारी हल्का कणोज की रिपोर्ट में भी **ग्राम कणोज तहसील केकडी जिला अजमेर की जमाबन्दी संवत 2073–76 के खाता संख्या 498 में फूमा के स्थान पर फूला** को दुरूस्त किया जाना उचित बताया है।

अतः प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया साथ ही तहसीलदार केकडी भू.अभि.निरी. व पटवारी हल्का की रिपोर्ट की जांच करने पर पाया गया कि भी **ग्राम कणोज तहसील केकडी जिला अजमेर की जमाबन्दी संवत 2073–76 के खाता संख्या 498 में फूमा के स्थान पर फूल** को दुरूस्त कर अंकन किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। यदि किसी न्यायालय में कोई आपारधिक वाद या जांच **फूमा** के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का प्रार्थीया **फूमा** के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिये भी **फूमा** नाम ही प्रभावी माना जावेगा तथा नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्य में प्रकट होता है तो प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। तहसीलदार **केकडी** को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें।

आदेश आज दिनांक 25.6.2018 को लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प कणोज में मज में आम में सुनाया गया व पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे एंव उक्त निर्णय शामिल पत्रावली किया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
केकडी